163

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2711–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–4–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरेली जिला रायसेन प्रकरण कमांक 26/अपील/2010–11.

1– विश्राम सिंह आत्मज हरप्रसाद राजपूत
2– सबल सिंह आत्मज विश्राम सिंह राजपूत
3– अमित कुमार आत्मज विश्राम सिंह राजपूत
4– धीरेन्द्र सिंह आत्मज विश्राम सिंह राजपूत
5– बलवंत सिंह आत्मज विश्राम सिंह राजपूत
निवासीगण ग्राम सर्रा
तहसील बरेली जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– शंकर सिंह आत्मज हरप्रसाद राजपूत
हाल निवासी सांडिया रोड
अशोक वार्ड डाक्टर कटकवार के सामने
पिपरिया जिला होशंगाबाद
2– श्रीमती श्रीमती गायत्री बाई
पत्नी ओमप्रकाश राजपूत
निवासी ग्राम कोटपार महन्त
तहसील बरेली जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, बरेली के प्रकरण कमांक 2/अ–27/2000–01 में पारित आदेश दिनांक

30–12–01 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बरेली के समक्ष दिनांक 29–1–11 को विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र एवं तहसील न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि से छूट दिये जाने हेतु संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अपील/2010–11 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–4–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र पर तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर बिना सुनवाई किये, उक्त आवेदन पत्र स्वीकार कर, आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 29–12–2012 को अदम पैरवी में खारिज हो गया था, और उनके द्वारा प्रकरण पुर्नस्थापित जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर, पुनः नई अपील प्रस्तुत की गई है, इस कारण प्रकरण में रेस्ज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है, इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं करने में विधि की गम्भीर भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र में यह आपत्ति ली गई थी कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 1 आदेश दिनांक 8–11–2000 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर, तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30–12–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है और उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में बिना मूल अभिलेख बुलाये, प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकती है, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क

प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि के मान्य सिद्धान्तों को समझने तथा न्याय निर्णयों को नही मानने में घोर त्रुटि की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियमों व प्रकियाओं का पालन नही किया तथा वास्तविक तथ्यों के विपरीत पक्षपात पूर्ण कार्यवाही कर, उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य का मनन किये बिना विवादित आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 ने पंजी कमांक 1 पर पारित बटवारा आदेश दिनांक 30–12–2001 के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत की है । नामान्तरण पंजी क्रमांक 46 से जुड़े अपील प्रकरण (जिसका कमांक नहीं बताया जा रहा है) जो आवेदकगण के अनुसार अदम पैरवी में खारिज हुआ था और रिकार्ड रूम में जमा न होने का भी उल्लेख है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह अपील पंजी पर पारित बटवारे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया अनावेदक को सुना ही नहीं गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा कर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर